(17)

समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

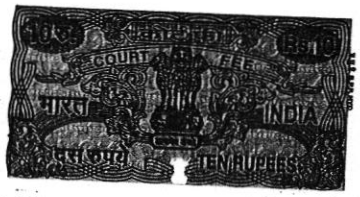

III/निगरानी/सतना/भू-रा/2017/2451

1:– रामबहादुर सिंह पिता स्व0तलमन सिंह, उम्र 68वर्ष,

2:– मंगलेश्वर सिंह पिता स्व0रामभान सिंह, उम्र 48वर्ष,

3:– कार्तिकेश्रर सिंह पिता स्व0रामभान सिंह, उम्र 40वर्ष,

4:– बेवा सत्यवती सिंह पत्नी स्व0रामभान सिंह, उम्र 80वर्ष,सभी निवासी–ग्राम–चोरहटा, तहसील–रामपुर बाघेलान,जिला–सतना(म0प्र0)

–––*निगराकारगण / रेस्पा0गण*

श्री ...... द्वारा आज दि. 31.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1:– श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व0तेजभान सिंह, उम्र 78वर्ष,

2:– श्री राजीव लोचन सिंह पिता स्व0तेजभान सिंह, उम्र 52वर्ष,

3:– श्री संजीव लोचन सिंह पिता स्व0तेजभान सिंह, उम्र 49वर्ष,

4:– श्री पृथवीराज सिंह पिता स्व0तेजभान सिंह, उम्र 47वर्ष,

5:– श्रीमती सुमन सिंह पुत्री स्व0तेजभान सिंह, उम्र 50वर्ष,

6:– श्रीमती सुलेखा सिंह पुत्री स्व0तेजभान सिंह, उम्र 42वर्ष,

7:– श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री स्व0तेजभान सिंह, उम्र 41वर्ष,

8:– श्रीमती चंद्रवती सिंह पत्नी स्व0तेजभान सिंह, उम्र 72वर्ष,

9:– श्रीमती मालती उर्फ पुष्पा सिंह पुत्री स्व0सुदर्शन सिंह, उम्र 72वर्ष,

10:– श्रीमती भारती सिंह पुत्री स्व0सुदर्शन सिंह, उम्र 56वर्ष,

11:– श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी पृथवीराज सिंह, उम्र 38वर्ष,

12:– श्री सौरव सिंह पिता संजीवलोचन सिंह, उम 22वर्ष,

13:—श्री परीक्षित सिंह पिता राजीवलोचन सिंह, उम्र 25वर्ष,

14:—श्री सुतीक्षित सिंह पिता राजीवलोचन सिंह, उम्र 23वर्ष,

15:—श्रीमती अर्पणा देवी सिंह पुत्री श्री लाखन सिंह, उम्र 70वर्ष,

क्रमांक—01 से 15 सभी निवासी—ग्राम चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला—सतना(म0प्र0)—————***गैरनिगरानीगर्ता/अपीलांट***

16:—श्री राजभान सिंह पिता श्री उदयभान सिंह, उम्र 70वर्ष,

17:—श्री प्रभाकर सिंह पिता स्व0श्री कृष्णभान सिंह, उम्र 56वर्ष,

18:—श्री प्रदीप सिंह पिता स्व0श्री कृष्णभान सिंह, उम्र 52वर्ष,

19:—श्री प्रभात सिंह पिता स्व0श्री कृष्णभान सिंह, उम्र 49वर्ष,

20:—श्रीमती सरोज सिंह पुत्री स्व0श्री कृष्णभान सिंह, उम्र 59वर्ष,

21:—विंदा उर्फ वृजकुमारी सिंह पिता स्व0तलमन सिंह, उम्र 65वर्ष,

22:—***गंगावती (मृत) द्वारा वारिसान—***

22(अ):—रिंकू सिंह पति श्री कमलेश्वर सिंह उम्र 40वर्ष,

22(ब):—शंकर सिंह पिता बाबू सिंह उम्र 43वर्ष,

22(स):—संजीव सिंह पिता बाबू सिंह, उम्र 41वर्ष,

22(द):—डाकेश्वर सिंह पिता बाबू सिंह उम्र 39वर्ष,

22(अ) लगायत 22 (द) का हालमुकाम मैहर, तहसील—मैहर, जिला—सतना (म0प्र0)

23:—सिद्धेश्वर सिंह पिता रामभान सिंह, उम्र 44 वर्ष,

24:—उमा सिंह पिता रामभान सिंह, उम्र 41वर्ष,

क्रमांक—12 से 13 निवासी—ग्राम चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला—सतना(म0प्र0)

25:— मंगलेश्वर सिंह पिता कलमभान सिंह उम्र 32 वर्ष, निवासी—चोरहटा हाल मुकाम—दुधमनिया, तहसील—पुष्पराजगढ़,जिला—अनूपपुर,म0प्र0

26:— म0प्र0शासन द्वारा जिला कलेक्टर सतना(म0प्र0)

—गैरनिगराकारगण/रेस्पाडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा—41म0प्र0कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 विरुद्ध आदेश दिनांक—26.07.2017 पारित अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 36/निगरानी/2016—17 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा(म0प्र0)

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्न वैधानिक कारणोवश यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते है :—

1:— यह कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 ने निगरानीकर्ता गण की निगरानी में पारित में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक—26.07.2017 में सारवान वैधानिक तथ्यों का निराकरण न कर अपनी वैधानिक शक्ति का समुचित प्रयोग नही किया है, तथा कई वैधानिक प्रश्नो पर म0प्र0कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 इस निगरानी याचिका में आगे '' अधिनियम'' लिखा जायेगा के प्रतिकूल निष्कर्ष दिया है । अतः प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

2:— यह कि अधिनियम की धारा—11 उपधारा 2 के उपबंध के अनुसार धारक द्वारा धारित भूमि को अधिनियम के प्रयोजन के लिए निर्धारित करने के लिए धारा—4 की उपधारा 1 के अधीन व्यर्थ घोषित किये गये अंतरणो की भूमि तथा धारा 5 के अंतर्गत अन्तरण, अंतरण विभाजन,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सतना / भू0रा0 / 2017 / 2441

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–09–2017	आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक केवीयेटकर्ता अभिभाषक के ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 36 / निगरानी / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26–7–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ कलेक्टर का उक्त आदेश की विधिक वारिसों से पृथक–पृथक जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देना सीलिंग अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत है। सीलिंग अधिनियम की धारा 2(ख) में नियत दिनांक से तात्पर्य 07–3–1974 है। अतिशेष भूमि का निर्धारण नियत दिनांक की स्थिति अनुसार ही किये जाना चाहिए था। अगर धारक की मृत्यु नियत दिनांक 07–3–1974 के पहले हो जाती है तब धारक के वारिस उत्तराधिकारियों पर प्रारूप विवरणी तामील करना आवश्यक होता है। परन्तु धारक की मृत्यु दिनांक 07–3–1974 की नियत तिथि के धसारक लाखन सिंह की पात्रता के अनुसार ही अतिशिष भूमि निर्धारण होगा। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–3–16 के द्वारा 9 एकड़ भूमि की पात्रता निर्धारित की गई है। गंगावती की मृत्यु 28–8–16 को कलेक्टर के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहते हो गई थी परन्तु मृतक के विधिक वारिसान को कलेक्टर समक्ष लंबित अपील प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त विधिक प्रश्न पर बिना विचार किये कलेक्टर के द्वारा आदेश पारित किया	

गया है। लाखन सिंह की पुत्री अर्पणा सिंह सक्षम प्राधिकारी रामपुर बघेलान के यहां सिलिंग प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी पुत्री को पिता की सम्पत्ति पर जन्म से अधिनियम हो होता है इसलिए वह लाखनसिंह की वैद्य उत्तराधिकारी थी। यह भी तर्क दिया कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित रहते धारक की मृत्यु होने पर मामला समाप्त नहीं होगा बल्कि नियत दिनांक की स्थिति पर अतिशेष भूमि का निर्धारण होगा।

3/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई त्रुटि नहीं की है और न ही आवेदक को कोई ऐसी अपरिमित क्षति हो रही है। यह भी तर्क दिया कि धारक लाखन सिंह के पारिवार के भूमि का स्वत्वधारी नहीं है उसका प्रश्नाधीन भूमि में कोई हक नहीं है। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है अनावेदक कमांक 1 लगायत 15 को पक्षकार बनाकर कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है। अतः निगरानी में ग्राह्यता का कोई आधार नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में लाखन सिंह की मृत्यु प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान सन् 1975 में हो जाने से मृत धारक के वारिसों को रिकार्ड पर लेकर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर को प्रत्येक वारिसान के नाम पृथक–पृथक पत्रक–5 तैयार किये

जाने के निर्देश दिये गये है। तहसीलदार ने मृतक के वारिसों के नाम पृथक–पृथक प्रपत्र 5 तैयार कर नहीं भेजा फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त दोनों बिन्दुओं को अनदेखा करते हुये आदेश पारित किया गया है। इसी कारण कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि मूल प्रकरण कमांक 1282 / बी90(3) / 74–75 में आगे की कार्यवाही प्रचलित की जाये तथा तत्समय दर्ज भूमिस्वामी लाखनसिंह के मौजूद विधिक वारिसों से पृथक–पृथक प्रपत्र–5 में विधिवत जानकारी लेने के पश्चात विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाये। कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी खारिज की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी में ऐसे कोई आधार अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य